(Reg.-235)13-12-2004

म.प्र.राज्य सहकारीबीजउत्पादक एवंविपणनसंघमर्या.

(मध्यप्रदेशराज्य का सहकारिता शीर्ष संस्थान)

मुख्यालय-चतुर्थतलसमन्वय भवन (अपैक्स बैंक) टी.टी. नगरभोपाल-462003 (म.प्र.)

☎ 0755-2551493 Email seedfedcomp@gmail.com

क्रं./उत्पा./प्र.बी./रबी-2024-25/2024/542 भोपाल, दिनांक 22/07/2024

प्रति,

1. संयुक्त आयुक्त सहकारिता
   सह क्षेत्रीय प्रबंधक, बीज संघ संभाग (समस्त)
2. उपायुक्त/सहायक आयुक्त सहकारिता
   सह जिला प्रबंधक बीज संघ जिला (समस्त)

विषय:- रबी 2024-25 हेतु प्रजनक बीजों के मांग, आवंटन, उठाव एवं वितरण नीति।

विगत वर्षों से कृषि विभाग द्वारा बीज संघ को प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर स्थित कृषि विश्वविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्रों से खरीफ एवं रबी की विभिन्न फसलों की किस्मों के प्रजनक बीजों का आवंटन प्राप्त हो रहा है तथा आवंटित प्रजनक बीजों का वितरण बीज संघ द्वारा अपने क्षेत्रीय एवं जिला कार्यालयों के माध्यम से सदस्य बीज उत्पादक समितियों को निर्धारित नीति अनुसार किया जा रहा है।

गत वर्ष/सीजन की भांति, रबी वर्ष 2024-25 में भी, संघ को संचालक कृषि के माध्यम से आवंटित होने वाले प्रजनक बीजों का स्वयं उठाव कर, सदस्य प्राथमिक बीज उत्पादक सहकारी समितियों को वितरण किया जाना है, जिसके लिए निर्धारित नीति निम्नानुसार है-

1. रबी वर्ष 2024-25 हेतु बीज संघ को प्रजनक बीज का आवंटन, संचालक कृषि मध्यप्रदेश द्वारा भारत सरकार को रबी 2024-25 हेतु पूर्व में प्रस्तुत मांग में उल्लेखित फसल/किस्मों के आधार पर, सितम्बर-अक्टूबर 2024 में किया जाना संभावित है। सदस्य बीज उत्पादक सहकारी समितियों द्वारा रबी की मुख्य फसलों जैसे- गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों तथा अलसी जो मध्यप्रदेश राज्य हेतु अनुशंसित है (फसल एवं प्रजातिवार सूची संलग्न है) के प्रजनक बीज की मांग बीज संघ के नवनिर्मित पोर्टल के माध्यम से <u>01 अगस्त 2024 से 31 अगस्त 2024 तक संलग्न मांग आवेदन पत्र सहित प्रपत्र(1) एवं (2)</u> में उप/सहायक आयुक्त सहकारिता सह जिला प्रबंधक, बीज संघ को प्रस्तुत की जावेगी। नियत तिथि के पश्चात् किसी भी सदस्य बीज समिति की रबी प्रजनक बीजों की ऑफलाइन मांग, किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जावेगी। जिला कार्यालय द्वारा समितिवार प्रपत्र (1) की मांग, संबंधी जानकारी बीज संघ की वेबसाईट **www.beejsanghmp.org** पर निर्मित पोर्टल पर ऑनलाइन फीड कराई जावेगी। आवेदन पत्र एवं प्रपत्र (1) एवं प्रपत्र (2) के प्रारूप वेबसाईट पर उपलब्ध है। ब्रीडर बीज की आनलाइन मांग के लिए सभी जिला अधिकारियों को पोर्टल पर लॉगइन हेतु यूजर आईडी/पासवर्ड पूर्व में प्रदाय किया गया है।
2. उप/सहायक आयुक्त सहकारिता सह जिला प्रबंधक बीज संघ द्वारा बीज उत्पादक समितियों से प्राप्त मांग पत्र अनुसार बीज संघ पोर्टल पर प्रजनक बीज मांग फीड कराकर, संकलित जानकारी पोर्टल पर ऑनलाइन संभागीय संयुक्त आयुक्त सहकारिता सह क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय बीज संघ को अग्रेषित किया जाएगा। क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा परीक्षण उपरान्त, मांग को बीज संघ भोपाल को ऑनलाइन अग्रेषित किए जावेगा। समितियों से

प्राप्त मांग पत्रों की हार्ड कॉपी जिला कार्यालय में सुरक्षित रखी जाएगी, जिसे बीज संघ मुख्यालय द्वारा आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर संघ मुख्यालय को भेजा जा सकेगा।

3. बीज समितियॉ बीज की मांग करते समय स्टैण्डर्ड पैकिंग साइज के आधार पर प्रति एकड़ हेतु निर्धारित मात्रा अनुसार ऑनलाइन मांग प्रपत्र (1) में प्रस्तुत करेंगी।

4. बीज संघ की सदस्य प्राथमिक बीज उत्पादक सहकारी संस्थाऐं, कृषि विश्वविद्यालय/कृषि अनुसंधान केन्द्रों से पोर्टल पर दर्शित, रबी फसलों के प्रजनक बीजों का सीधे स्वयं उठाव नहीं करेंगी अन्यथा उनको जिले के उप संचालक कृषि के माध्यम से प्रजनक बीज वितरण अनुदान और उत्पादन अनुदान प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी।

5. बीज समितियों द्वारा प्रजनक बीज किस्मों की मांग प्रस्तुत करते समय, प्रथम मूल इच्छित किस्म की उपलब्धता नहीं होने अथवा कम होने पर, अन्य दो वैकल्पिक किस्मों की मांग का भी उल्लेख किया जाएगा। जिससे पहली इच्छित किस्म की उपलब्धता नहीं होने पर, दूसरी इच्छित, जो भी उपलब्ध हों, का प्रजनक बीज, समिति को प्रदाय किया जा सकेगा। यदि मूल एवं वैकल्पिक किस्मों का आवंटन बीज संघ को प्राप्त नहीं होता है अथवा कम प्राप्त होता है, तो भारत सरकार से संचालक कृषि मध्यप्रदेश के माध्यम से जिन किस्मों के बीज, बीज संघ को आवंटित किये जावेंगे, उनका आवंटन तदनुसार बीज समितियों को किया जावेगा तथा समितियों को उन आवंटित किस्मों के ही बीज उठाना होगा। बीज संघ द्वारा प्रदाय केन्द्रों पर अन्तिम रूप से उपलब्धता अनुसार उठाव उपरांत समितिवार वितरित बीजों की प्रविष्टि बीज संघ के पोर्टल पर की जावेगी, जो प्रत्येक जिला कार्यालय के पोर्टल पर दर्शित होगी।

6. बीज उत्पादक समिति द्वारा प्रजनक बीज के मांग के साथ ही, गत रबी 2023-24 में उत्पादित आधार बीज की उपलब्धता की जानकारी प्रपत्र (2) में प्रस्तुत की जाएगी। उल्लेखित उपलब्धता की जानकारी, यदि बीज समिति द्वारा मांग के साथ प्रस्तुत नहीं की जाती है, तो उनकी मांग मान्य नहीं की जाएगी। बीज की अग्रिम बुकिंग करते समय जिला कार्यालय स्तर पर इस बात का आंकलन किया जाएगा, कि बीज समिति द्वारा की जा रही, प्रजनक बीज की अग्रिम बुकिंग तर्क संगत है। इस बात पर गौर करना भी आवश्यक होगा कि संबंधित समिति के पास मांग की गई फसल/किस्म का गत वर्ष का कितना आधार बीज उपलब्ध है? ताकि तदनुसार बीज समिति, फसल की प्रजाति हेतु बीज मांग कर सकेगी।

7. गत खरीफ 2024/रबी 2023-24 सीजन में जिन बीज उत्पादक सहकारी समितियों द्वारा प्रजनक बीजों की अग्रिम बुकिंग की गई थी तथा उन्हें बीज आवंटित किये गये थे, परन्तु उनके द्वारा बीजों का उठाव नहीं किया गया, ऐसी समितियों की मांग एकत्र नहीं की जाए, न ही उन्हें प्रजनक बीज उपलब्ध कराया जाए। ऐसी समितियों को मैदानी अधिकारी/कर्मचारी चिन्हित करेंगे।

8. समितियों द्वारा प्रजनक बीजों की मांग, भारत शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के पत्र दिनांक 09 मई 2022 द्वारा निर्धारित विक्रय दरों (संलग्न पत्र, जो वेबसाईट पर भी उपलब्ध है) के आधार पर, रबी प्रजनक बीज 2024-25 हेतु 25% राशि का **NEFT/RTGS** बीज समिति के नाम से संचलित बैंक खाते से सीधे मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बीज उत्पादक एवं विपणन संघ मर्यादित के **मध्यप्रदेश सहकारी बैंक मर्यादित, टी.टी. नगर शाखा के खाता क्रमांक <u>187001057654, आई.एफ.एस.सी.</u> CBINOMPABAA** में जमा कराने अथवा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/कामर्शियल बैंक/अपेक्स बैंक की शाखा (जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक डी.डी. मान्य नहीं) के डिमाण्ड ड्राफ्ट (DD) जो 'मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बीज उत्पादक एवं विपणन संघ मर्यादित भोपाल' के नाम से भुगतान योग्य हो, जिला कार्यालय में जमा कराने के साथ की जाएगी। जिला कार्यालय द्वारा प्राप्त **NEFT/RTGS/DD** का विवरण पोर्टल में समितिवार दर्ज कराते हुए विवरण सहित जानकारी बीज संघ

मुख्यालय को प्रेषित किया जाएगा। संभागीय क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा जिलावार समितिवार जानकारी संकलित कर, बीज संघ मुख्यालय को यथाशीघ्र प्रेषित की जाएगी। जिससे संचालक कृषि से आवंटन प्राप्ति उपरांत, प्रजनक बीज की विक्रय दर अनुसार, कुल कीमत का भुगतान बीज प्रदाय केन्द्र को बीज संघ के द्वारा किया जाकर उठाव की कार्यवाही कराई जा सकेगी।

9. अधिकृत उठावकर्ता/वितरणकर्ता अधिकारी/कर्मचारी द्वारा उठाव/वितरित किये गये प्रजनक बीज एवं बीज से संबंधति दस्तावेजों की प्रतिलिपि, बीज प्राप्तकर्ता, बीज उत्पादक समिति को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे, जिससे समिति, बीज का भौतिक सत्यापन एवं पंजीयन कार्य, बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा निर्धारित तिथि के अन्दर करा सकेगी। साथ ही मूल दस्तावेज बीज संघ मुख्यालय को उपलब्ध कराएं जावेंगे। संबंधित केन्द्रों से प्रजनक बीज उठाव कर, जिस जिले को भेजा जाएगा, उस जिला कार्यालय के बीज कार्य हेतु अधिकृत नोडल कर्मचारी द्वारा शेष 75% राशि एवं 10% हैण्डलिंग चार्ज की राशि संबंधित बीज संस्थाओं से प्राप्त की जाकर, बीज संस्था को बीज संघ का बिल प्रदाय करते हुए, प्रजनक बीज की डिलेवरी दी जाएगी। संबंधित बीज समिति द्वारा उक्तानुसार प्राप्त 75% राशि एवं 10% हैण्डलिंग चार्ज की राशि का NEFT/RTGS बीज समिति के नाम से संचालित बैंक खाते से, क्र. 8 में दर्शित व्यवस्था अनुसार बीज संघ मुख्यालय के खाते में जमा कराई जावेगी। संभागीय क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा जिलावार समितिवार जानकारी संकलित कर, बीज संघ मुख्यालय को यथाशीघ्र प्रेषित की जाएगी। किसी भी स्थिति में क्षेत्रीय एवं जिला कार्यालय द्वारा उक्तानुसार प्राप्त राशि का उपयोग, उनके स्तर पर नहीं किया जायेगा।

10. प्रजनक बीजों का अनुसंधान केन्द्रों से उठाव कर, संघ के आवश्यकतानुसार चिन्हित संभागीय क्षेत्रीय तथा जिला कार्यालय स्तर पर परिवहन, हम्माली भण्डारण तथा रख रखाव व्यय भार (हैण्डलिंग चार्जेस) प्रथमतः बीज संघ द्वारा वहन किया जावेगा तथा इस व्यय भार की प्रतिपूर्ति बीज संघ द्वारा बीजों के विक्रय दर पर, 10% की दर से, बीज प्राप्तकर्ता बीज उत्पादक समितियों से राशि वसूल की जाएगी।

11. यदि सभी बीज संस्थाओं की मांग अनुसार, प्रजनक बीज उन्हें प्रदाय नहीं हो पाता है, तो बीज संघ से संबंधित जिला कार्यालय में मांग प्रस्तुति के समय, जमा की गयी 25% अग्रिम राशि, संघ मुख्यालय द्वारा लेखा मिलान उपरांत, संबंधित संस्था को उसके बैंक खाते में RTGS के माध्यम से वापस की जाएगी तथा संभागीय क्षेत्रीय कार्यालय एवं जिला कार्यालय को तदनुसार अवगत कराया जावेगा।

12. अग्रिम राशि जमाकर्ता, बीज समिति, यदि संघ द्वारा आवंटित किस्मों का प्रजनक बीज नहीं उठाती है, तो उसके द्वारा जमा की गई अग्रिम राशि, बीज संघ द्वारा जब्त की जा सकेगी तथा इस समिति को अन्य किसी भी फसल/किस्मों का प्रजनक बीज प्रदाय नहीं किया जाएगा।

13. जिन जिलों में बीज उत्पादक समितियॉ एक सीजन में बीज उत्पादन कार्यक्रम लेती है तथा दूसरे सीजन में बीज उत्पादन कार्यक्रम नहीं लेती है, ऐसी समितियों को संबंधित जिलों द्वारा चिन्हित कर, क्रियाशील किया जाएगा तथा ऐसी समितियों की प्रजनक बीजों की मांग, अनिवार्यतः एकत्र कर उन्हें बीजोत्पादन कार्यक्रम लेने हेतु तैयार किया जाएगा। आधार एवं प्रमाणित बीज उत्पादन कार्यक्रम में बीज उत्पादक सहकारी समितियॉ बुवाई के कृषि प्रक्षेत्रों में फसल चक्र (Crop Rotation) का पालन सुनिश्चित करेंगी।

14. जिस अधिकृत बीज उठावकर्ता कर्मचारी ने प्रजनक बीज का उठाव बीज प्रदाय केन्द्र से किया है, वह कुल उठाव मात्रा, राशि एवं किस-किस जिले को कितनी-कितनी मात्रा में बीज भेजा गया है, इसकी जानकारी उठाव के साथ ही बीज संघ मुख्यालय को मेल पर एवं व्हाट्सअप ग्रुप में प्रेषित करेगा। क्षेत्रीय एवं जिला कार्यालय द्वारा प्रजनक बीजों के

आवंटन अनुसार, आवश्यकतानुसार संबंधित प्रजनक बीज के भण्डारण हेतु स्थानीय स्तर पर आवश्यक व्यवस्था की जाएगी।

15. विभिन्न अनुसंधान केन्द्रों से प्रजनक बीज के उठाव हेतु, कर्मचारियों को अधिकृत करने की कार्यवाही बीज संघ मुख्यालय से की जावेगी एवं उन्हें उठाव की जाने वाली प्रजनक बीज की मात्रा एवं दर के अनुसार उनके द्वारा आवेदित अग्रिम राशि की व्यवस्था NEFT/RTGS से उनके बैंक खाते में, संघ मुख्यालय से की जावेगी। उठावकर्ता का कार्य बीज संघ मुख्यालय के कर्मचारी के साथ-साथ संभागीय क्षेत्रीय कार्यालय में कार्यरत सहायक एवं आऊटसोर्स के कर्मचारी तथा आवश्यकतानुसार जिला कार्यालय के नोडल अधिकारी भी उक्त कार्य हेतु अधिकृत किये जा सकेंगे।

16. बीज उठावकर्ता कर्मचारी बीज उठाव के पूर्व एक बार, संबंधित बीज अनुसंधान केन्द्र पर भ्रमण कर, संबंधित प्रक्षेत्र प्रभारी से चर्चा कर, बीज संघ मुख्यालय को यह अवगत कराएंगे कि प्रदाय केन्द्र पर कितनी बीज मात्रा उपलब्ध है? बीज की पैकिंग साईज क्या है? किस दिनांक तक बीज तैयार होगा?, NEFT/RTGS/DD किस नाम से जारी करना है, उसका पूर्ण पता तथा उसके खाते का पूर्ण विवरण प्राप्त कर, मुख्यालय बीज संघ भोपाल को दूरभाष अथवा ई-मेल से अनिवार्यतः अवगत कराएंगे।

17. उठावकर्ता अधिकारी द्वारा कृषि अनुसंधान केन्द्रों से उठाये जाने वाले प्रजनक बीजों के कैश मेमों और अन्य आवश्यक दस्तावेज जैसे- बीज अंकुरण रिपोर्ट, प्रजनक बीज प्रमाण पत्र, मॉनिटरिंग रिपोर्ट, ब्रीडर सर्टिफिकेट बीज संघ के नाम से प्राप्त किये जाएंगे तथा मूल प्रति बीज संघ मुख्यालय को प्रस्तुत करेंगे। बीज उठावकर्ता बीज उठाव के समय, बीज परीक्षण रिपोर्ट का भलीभांति सतर्कता के साथ अवलोकन करेंगे, जिसमें निम्नानुसार फसलों के अंकुरण प्रतिशत तथा इन्सेक्ट डेमेज्ड को भी ध्यान रखा जाएगा। रबी फसलों के प्रजनक बीजों के न्यूनतम अंकुरण प्रतिशत निम्नानुसार होना अनिवार्य है-

क्रमांक	फसल	न्यूनतम अंकुरण प्रतिशत
1	गेंहूँ	85%
2	चना	85%
3	जौ	85%
4	सरसों	85%
5	अलसी	80%
6	मसूर	75%
7	मटर	75%

18. उठावकर्ता अधिकारी/कर्मचारी कृषि अनुसंधान केन्द्रों से समुचित रूप से मशीन से सिलाई की गई, विधिवत लेबल्ड (टैग सहित) पैक्ड बीज का ही उठाव करेंगे। लेबल पर बीज से संबंधित समस्त मानक दर्ज है एवं सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित है, यह भी सुनिश्चित करेंगे। किसी भी दशा में लेबल(टैग) अलग से प्राप्त नहीं किये जाएंगे, अन्यथा संबंधित उठावकर्ता कर्मचारी के विरूध्द कार्यवाही की जावेगी। यदि किसी कृषि अनुसंधान केन्द्र पर बीज की बोरी समुचित पैकिंग व टैगिंग सहित नहीं है, तो उसी समय, इस संबंध में बीज प्रदाय केन्द्र को लिखकर दिया जाएगा व ऐसी बोरी किसी भी दशा में स्वीकार नहीं की जाएगी। पैक्ड बोरियों का वजन एवं बोरी पर फसल, किस्म, पैकिंग का दिनांक, भरते समय आर्द्रता% अंकित हो, यह भी उठाव करते समय सुनिश्चित करेंगे। खराब एवं घुने बीज का उठाव किसी भी दशा में नहीं किया जाए एवं इसकी सूचना अपने संभागीय क्षेत्रीय कार्यालय औरं बीज संघ मुख्यालय को तुरंत दी जाएगी। यदि उक्त निर्देशों के विपरीत बीज उठाव किया जाता है, तो जिम्मेदारी संबंधित उठावकर्ता अधिकारी/कर्मचारी की होगी।

19. उठावकर्ता अधिकारी द्वारा बीज अनुसंधान प्रदाय केन्द्रों से, प्रजनक बीज के परिवहन हेतु अनुसंधान केन्द्रों की सहायता से अथवा स्थानीय स्तर पर, उपलब्ध परिवहन कर्ताओं से चर्चा कर, युक्तियुक्त दर पर परिवहन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। शासकीय एवं अर्धशासकीय परिवहन संस्थाओं जैसे-टी.सी.आई को प्रदेश से बाहर के अनुसंधान केन्द्रों से उठाव एवं परिवहन में प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही मध्यप्रदेश के अंदर के प्रजनक बीज प्रदाय केन्द्रों से बीज उठाव में टी.सी.आई. (जिन जिलों में केन्द्र हैं) एवं अन्य स्थानीय परिवहनकर्ता के माध्यम से (जिनकी दरें कम हों) बीजों का परिवहन कराया जायेगा।

20. बीज अनुसंधान प्रदाय केन्द्रों द्वारा जारी किये गये देयकों के आधार पर बीज समितियों को प्रदाय मात्रा के देयक/नगदी (बिल) पत्रक, संबंधित जिलों के नोडल अधिकारी/बीज प्रभारी बीज संघ की ओर से, यथा समय जारी किये जाएगें। साथ में बीज मॉनिटरिंग रिपोर्ट की प्रवि्व एवं प्रजनक बीज प्रमाण पत्र भी दिये जाएंगे।

21. बीज उठावकर्ता, बीज उठाव के पश्चात् बीज संघ मुख्यालय, परिवहनकर्ता तथा प्रदायकर्ता जिलों के जिला अधिकारियों/नोडल अधिकारियों से नियत स्थान पर समय पर, बीज के पहुंचने एवं वितरण होने तक सतत् दूरभाष पर संपर्क करते रहेंगे कि प्रेषित मात्रा अनुसार/आवंटन अनुसार बीज, संबंधित जिलों/समितियों को प्राप्त हुआ अथवा नहीं।

22. संभागीय क्षेत्रीय कार्यालय/जिला कार्यालय, उठाये गये तथा वितरित किये गये प्रजनक बीजों का हिसाब, संघ मुख्यालय को उठाव एवं वितरण पश्चात् प्रस्तुत करेंगे। साथ ही जिला कार्यालय द्वारा बीज संघ के पोर्टल पर बीज समितिवार वितरित बीजों के अंतिम हिसाब-किताब संबंधी जानकारी की प्रविष्टि बीज संघ द्वारा सूचित अवधि के अंदर समयावधि में सम्पन्न किया जावेगा। पोर्टल में प्रविष्टि कार्य में समन्वय बीज संघ मुख्यालय तथा संभागीय कार्यालय के सहायक एवं आऊटसोर्स कर्मचारियों द्वारा किया जावेगा।

23. बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा पैतृक बीज के भौतिक सत्यापन एवं पंजीयन हेतु फसलवार ऑन-लाइन, आवेदन की तिथियाँ निर्धारित होती है, निर्धारित तिथि के पश्चात् बीज का भौतिक सत्यापन एवं पंजीयन संभव नहीं होता है। अतः बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा जारी निर्धारित तिथि के अनुसार संबंधित सभी बीज समितियाँ, प्राप्त प्रजनक बीज के भौतिक सत्यापन एवं पंजीयन की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगी।

24. बीज उत्पादक सहकारी समितियाँ प्रदाय किए गए बीजों के बीजोत्पादन कार्यक्रम की जानकारी, आदर्श उपविधि उद्देश्य क्रं. 3.2 से 3.6 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार, बीज संघ के वेब पोर्टल पर उनके यूजर आई डी लॉगिन से यथा समय प्रविष्टि करना/अपडेट करना सुनिश्चित करेंगी तथा समय-समय पर बीज संघ को मेल के माध्यम से एवं बीज संघ के वाट्सअप ग्रुप पर प्रस्तुत करेंगी।

25. बीज संघ द्वारा उठाये गये प्रजनक बीज में से यदि कोई मात्रा किन्हीं कारणों से वितरित न होने के कारण शेष रह जाती है, तो ऐसे बीज को बीज संघ मुख्यालय की स्वीकृति से, स्थानीय स्तर पर नियमानुसार कृषि उपज मण्डी में/निविदा/कोटेशन प्राप्त कर विक्रय किया जाएगा।

26. प्रजनक बीज के परिवहन, भण्डारण अथवा अन्य अपरिहार्य कारणों से बीज के खराब अथवा कमी हो जाने पर, बीज संघ द्वारा कारणों का आंकलन कर, यदि ऐसी हानि के लिए संघ के अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी नहीं है एवं हानि अपरिहार्य कारणों से हुई है, तो ऐसी हानि बीज संघ द्वारा वहन की जावेगी।

27. बीज उठावकर्ता बीज परिवहन कराते समय, संबंधित परिवहन संस्थान को बीज संघ की ओर से लिखित में पत्र द्वारा निर्देश करेंगे कि बीज परिवहनकर्ता एजेंसी द्वारा परिवहन में समुचित सावधानी बरती जावेगी तथा बीज के समय पर न पहुचने, बीज की बोरी

क्षतिग्रस्त होने, बीज बोरी में लगे टैग के गुम होने, बीज के बैग गुम होने पर बीज की बिल्टी अनुसार शतप्रतिशत राशि मय हेण्डलिंग चार्जेज के साथ, परिवहन संस्थान से तत्काल क्षतिपूर्ति राशि सहित वसूल की जावेगी।

28. बीज संघ के माध्यम से रबी 2023-24 एवं विगत वर्षों में प्रजनक बीज मांग करने वाली सदस्य बीज उत्पादक सहकारी समितियों को प्रदाय किए गए प्रजनक बीजों से आधार-प्रमाणित बीज उत्पादन अनुदान के देयक, संबंधित बीज उत्पादक सहकारी समितियों द्वारा उप/सहायक आयुक्त सह जिला प्रबंधक बीज संघ कार्यालय के माध्यम से संबंधित, उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास को प्रस्तुत किया जावेगा।
29. बीज समिति द्वारा उत्पादन अनुदान संबंधी देयक तैयार करते समय यह सुनिश्चित किया जावेगा कि किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा संस्थागत उत्पादन अनुदान की निर्धारित <u>25% राशि, प्रथमत: बीज संघ के खाता क्रमांक 32326396653, IFSC – SBIN0007242, BRANCH- VINDHYACHAL BHAWAN, BHOPAL</u> में संबंधित उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा देयक राशि में से हस्तांतरित हो सके।
30. उप संचालक कृषि के माध्यम से बीज संघ के खाते में प्राप्त संस्थागत उत्पादन अनुदान राशि में से, संबंधित बीज उत्पादक सहकारी समिति के निर्धारित हिस्से की राशि, बीज संघ द्वारा राशि प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर संबंधित बीज उत्पादक सहकारी समिति के खाते में हस्तांतरित की जावेगी।

(माननीय अध्यक्ष महोदय, बीज संघ द्वारा अनुमोदित)

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

22/7/24
(ए. के. सिंह)
प्रबंध संचालक

क्रं./उत्पा./प्र.बी./रबी-2024-25/2024/542 भोपाल, दिनांक 22/07/2024

प्रतिलिपि-सूचनार्थ-

1. विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, मान. मंत्री जी, सहकारिता विभाग, म.प्र. शासन एवं अध्यक्ष बीज संघ।
2. प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग, म.प्र. शासन।
3. आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं म.प्र.।
4. आयुक्त सह संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास म.प्र.।
5. कार्यालयीन लेखा शाखा की ओर सूचनार्थ।
6. अध्यक्ष/प्रबंधक, प्राथमिक बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित जिला (समस्त) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

प्रबंध संचालक 22/7/24